P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-II, November-2014
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में खेलकूद सुविधाओं एवं उपलब्धियों का अध्ययन

रामभूषण मिश्र
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
शारीरिक शिक्षा विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
ओबरा,सोनभद्र

सारांश

उद्देश्य

उत्तर प्रदेश के राज्य के विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद गतिविधियों के संचालन व्यवस्था– खेल सुविधाओं,एवं खेलउपलब्धियों का अध्ययन करना तथा उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद संचालन की वर्तमान व्यवस्था का केन्द्रीय खेल नीतियों के परिपेक्ष्य में स्वरूप का अध्ययन करना।

विधि

उत्तरप्रदेश के विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद से सम्बन्धित जानकारियों को एकत्र करने के लिए प्रश्नावली को शोध उपकरण के रूप मे प्रयोग किया गया तथा अध्ययन हेतु विषय के विद्वानो के सहयोग से प्रश्नावली का निर्माण किया।प्रश्नावली शोधार्थी द्वारा कुल 15 विश्वविद्यालयों को भेजी गयी जिसमें 12 विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त हुयी। आकड़ो के रूप मे प्राप्त तथ्यों को विभिन्न वर्गो मे सारणीयन कर विश्लेषित किया गया।

परिणाम

जिसमें उत्तरप्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुल 25 खेलो में से 20 खेलों की खेल सुविधाएँ उपलब्ध पायी गयी, 5 खेलो की सुविधा एवं संचालन किसी भी विश्वविद्यालयों में नही होता। 20 खेलो मे से 9 ही खेल ऐसे पाये गये जिनकी सुविधाएँ एवं संचालन सभी 12 विश्वविद्यालयों में होता है। 20 खेलो मे से 5 खेलो कि सुविधाएँ एवं संचालन 6–8 विश्वविद्यालयों में होता है। 12 में से 4 विश्वविद्यालयों में आधुनिक सामग्रीयुक्त जिम्नेजियम, 5 विश्वविद्यालयों में सामान्य सामग्रीयुक्त जिम्नेजियम, 3 विश्वविद्यालयों के पास सामान्य हाल उपलब्ध है।

निष्कर्ष

अध्ययन में पाया गया कि 12 विश्वविद्यालयों में से 9 विश्वविद्यालयों कि संरचना विकास समिति का गठन किया गया है, जबकि शत प्रतिशत विश्वविद्यालयों ने पर्याप्त खेल सामग्रियों और खेल उपकरण होने की जानकारी दी है।

मुख्य शब्द : खेल सुविधाएँ, शारीरिक शिक्षा

प्रस्तावना

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की गतिविधियों से सम्बंधित विषय पर आधारित है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पांचवा बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश केवल भारत की अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य ही नहीं है बल्कि विश्व की सर्वाधिक आवादी वाली उप राष्ट्रीय इकाई है। यदि उत्तर प्रदेश को अलग देश बनाया जाय तो वह पांच राष्ट्रों चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इण्डोनेशिया और ब्राजील के बाद छठवां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होगा।उत्तर प्रदेश क्षेत्र की दृष्टि से $23^{\circ}52'$ से $30^{\circ}25'$ अक्षांश और $77^{\circ}3'$ से $84^{\circ}39'$ पूर्वी देशान्तर रेखांश के मध्य स्थित है। जिसकी सीमा पूर्व से पश्चिम 650 किमी. और उत्तर से दक्षिण 240 किमी. है कुल 2,40,928 वर्ग किमी. क्षेत्रफल वाला भारत का पांचवा बड़ा राज्य है।

शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति को सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से दक्ष नागरिक तैयार करना वास्तव में राष्ट्र के विकास में सहयोग करना है, शिक्षा ही एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-II, November-2014
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

व्यक्ति का सामाजिक निर्माण सम्भव होता है, जो व्यक्ति को विवेकपूर्ण, परिपक्व और ज्ञानवान बनाती है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सम्पूर्ण बनाने में सहायक होती है तथा व्यक्ति के सर्वागीण विकास का प्रयास करती है। वास्तव में शिक्षा का सम्बन्ध शरीर के स्वस्थ अवयवों के अधिकतम विकास, उनकी व्यापकता, संवेगात्मक स्थायीत्व, सामाजिक चेतना, ज्ञान सम्पूर्ण व्यवहार, आध्यात्मिक और चारित्रिक गुणों से है। शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में प्रक्रिया और परिणाम के तत्वों को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के परिणाम और उद्देश्य सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों के पूरक एवं समान है, सम्पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम के अभिन्न भाग के रूप में मान्य है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम शैक्षणिक उद्देश्यों से सम्बन्धित होते है।

15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देश के सामने भारत के नागरिको की शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करना प्रमुख कार्य था। तत्कालीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद को शिक्षा के पाठ्यक्रम मे महत्वपूर्ण स्थान देना अति आवश्यक था इसलिए प्रत्येक प्राथमिक शाला ,माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर इस विषय पर विचार करना अनिवार्य था, जिसमें शारीरिक शिक्षा, खेलकूद युवक कल्याण, समाज कल्याण आदि पहलुओं के विकास के लिए विशिष्टकार्यक्रमों का समावेश आवश्यक था। राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण कार्य का उत्तरदायित्व आगे चलकर केन्द्र एवं राज्य दोनो ने सामूहिक रूप से वहन करने का निर्णय किया। देश की सम्पूर्ण व्यवस्था का कार्यभार अन्तरिम सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा विषय पर सबसे महत्वपूर्ण पहल विश्वविद्यालयीय शिक्षा में सुधार एवं विस्तार के लिए 1948 में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इसी बीच विभिन्न राज्यों द्वारा शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के विकास के लिए कई कदम उठाये गये लेकिन शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम, खेलकूद मैदान तथा अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों की कमी इस कार्यक्रम में एक बड़ा अभाव था। 1952–53 में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव के साथ ही केन्द्र एवं राज्यों में चुनी हुई सरकारों की स्थापना हुई। जिसमें भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद को राज्यों का विषय बना दिया गया। इसके विकास का उत्तरदायित्व राज्यों का हो गया। केन्द्र सरकार का कार्य योजना बनाना और नीति निर्धारण करना व राज्यों को परामर्श देना था। केन्द्र सरकार द्वारा 1948 में राधाकृष्णन आयोग, 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1956 आचार्य नरेन्द्रदेव समिति, 1964 शिक्षा आयोग, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1980 की राष्ट्रीय खेल नीति, 1986 की नयी शिक्षा नीति, और 2007 की राष्ट्रीय खेल नीति में युवा एवं खेलकूद कार्यक्रमों का क्रियान्वयन का कार्य लागू किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1947 से ही शिक्षा योजनाओं में शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।

शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए खेल मैदानों, तरणताल जिम्नेजियम आदि सुविधाओं के अतिरिक्त अध्ययन कक्ष, फर्नीचर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और बड़े हाल आदि आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जहॉ तक एथलेटिक्स सुविधाओं का प्रश्न है यह मानना होगा कि वर्तमान एथलेटिक्स कार्यक्रम एवं सुविधाओं को बदलना और रख–रखाव नये निर्माण की अपेक्षा सस्ता होगा। स्टेडियम ट्रैक एण्ड फील्ड, तरण–ताल, जिम्नेजियम की योजना और निर्माण के लिए अतिरिक्त अध्ययन की आवश्यकता होगी। वास्तव में कहा जाये तो यह विद्यालयीय कार्य प्रणाली में खिलाड़ियों और शारीरिक शिक्षकों से सम्बन्धित अभियंताओं की समस्या है। खिलाड़ियों और शारीरिक शिक्षकों के अध्ययन कक्षों प्रशिक्षण स्थलों और विद्यालय में उपलब्ध अन्य स्तरीय खेल सुविधाओं के उपयोग सम्बन्धी अनुभवों को मानचित्रकारों एवं अभियन्ताओं के साथ चर्चा करना चाहिए। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की सुविधाओं के लिए आज कई नयी प्रवृत्तियॉ है। फर्श बनाने के लिए नया प्रदार्थ (पत्थर), नये प्रकार के उपकरण, विकसित भू–दृश्य नयी निर्माण सामग्री, तरणताल की नयी आकृति, आवश्यक शरण स्थल और कृत्रिम या सिंथेटिक घास वर्तमान में कुछ नये विकास है। इनडोर और आउटडोर तरणताल में संयोजन शारीरिक दक्षता के आउटडोर उपकरण, सभी मौसमों में उपयोगी टेनिस कोर्ट और बहुरंगी रेखाए विभिन्न खेलों और क्रियाओं के लिए अन्य नये विकास है।

उद्देश्य

उत्तर प्रदेश के राज्य के विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद गतिविधियों के संचालन व्यवस्था – खेल सुविधाओं, एवं खेल उपलब्धियों का अध्ययन करना तथा उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद संचालन की वर्तमान व्यवस्था का केन्द्रीय खेल नीतियों के परिपेक्ष्य में स्वरूप का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

शोधार्थी ने शोधकार्य को सफल बनाने के लिए लगभग 70 शोधप्रबंधों, एम.फिल. और एम.पी.एड. स्तर के लघुशोध प्रबंधों, शोध पत्रों व संबंधित प्रकाशित साहित्य का अध्ययन किया।

परिकल्पनायें

शोधार्थी का अनुमान था कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद सुविधाओं, सामग्रियों, की कमी खेल उपलब्धियों को प्रभावित करती होगी। प्राप्त परिणामों से परिकल्पना शत प्रतिशत धनात्मक पायी गयी।

अध्ययन पद्धति

शोधकार्य उत्तर प्रदेश राज्य अकादमिक विश्वविद्यालय और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों कुल 15 विश्वविद्यालयों मे से 12 विश्वविद्यालयों के परिसर में उपलब्ध शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद सुविधाओं के अध्ययन तक सीमित है। अध्ययन हेतु विषय के विद्वानो के सहयोग से प्रश्नावली का निर्माण किया।

शोधार्थी ने प्रश्नावली के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों की शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की गतिविधियों तथा सुविधाओं से सम्बन्धित जानकारी एकत्र करने के लिए प्रश्नावली को विश्वविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा प्रमुखों/प्रभारियों को डाक एवं व्यक्तिगत

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-II, November-2014
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

स्रोत से प्रस्तुत की। कई विश्वविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद प्रभारियों, उनके सहायकों से शोधार्थी ने पुनः–पुनः व्यक्तिगत एवं कई बार दूरभाष से सम्पर्क कर यथा उचित तथ्य आकड़ों के रूप प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त किया।

परिणाम

शोधार्थी ने प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त आकड़ों को विभिन्न वर्गो में विभाजित कर उनका विश्लेषण किया और यथा उचित सारिणियों का निर्माण कर साधारण गणीतिय गणना के आधार पर आकड़ों का विश्लेषण किया।

सारणी–1: खेल अधो संरचना संबंधी(Sports Infrastucture)

क्रमांक	खेल सुविधा	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रतिशत
1	तिरंदाजी	4	33.33
2	एथलेटिक्स ट्रैक	12	100
3	बैडमिंटन कोर्ट	12	100
4	बाल बैडमिटन कोर्ट	0	0
5	मुक्केबाजी	6	50
6	बेसबाल कोर्ट	0	0
7	बास्केटबाल कोर्ट	12	100
8	क्रिकेट मैदान	12	100
9	सायकिलिंग बेलोडम	0	0
10	फुटबाल मैदान	12	100
11	हैण्डबाल कोर्ट	12	100
12	हाकी फील्ड	12	100
13	कबड्डी कोर्ट	12	100
14	खो–खो फील्ड	12	100
15	कार्फबाल कोर्ट	0	0
16	नेटबाल कोर्ट	6	50
17	साफ्टबाल फील्ड	1	8.33
18	स्कैश कोर्ट	2	16.67
19	स्वीमिंग पूल	3	25
20	टेनिस कोर्ट	6	50
21	टेबलटेनिस टेबल	12	100
22	बालीबाल कोर्ट	12	100
23	कुश्ती मैट	8	66.67
24	जूड़ो मैट	07	58.33
25	तलवार बाजी सामग्री	0	0
26	अन्य	0	0

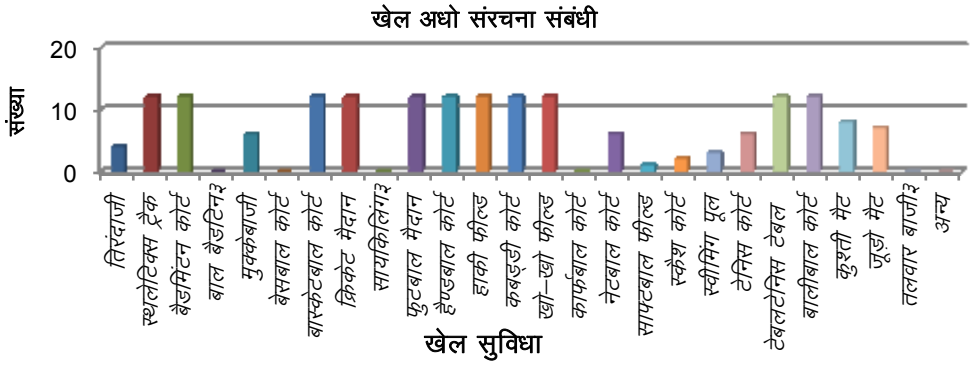

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-II, November-2014
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

विश्वविद्यालयों में खेलकूद के संबंधी आकड़ों के अध्ययन के आधार पर ज्ञात हुआ की 12 विश्वविद्यालयों मे से 12 विश्वविद्यालय अर्थात् 100 प्रतिशत विश्वविद्यालयों के पास स्थलेटिक्स ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबाल कोर्ट, क्रिकेट मैदान, फुटबाल मैदान, हैण्डबाल कोर्ट, हाकी फील्ड, कबड्डी कोर्ट, खो–खो फील्ड, टेबल टेनिस, बालीबाल कोर्ट उपलब्ध है। 08 विश्वविद्यालयों अर्थात् 66.67 प्रतिशत विश्वविद्यालयों के पास कुश्ती मैट है। 07 विश्वविद्यालय अर्थात् 58.33 प्रतिशत विश्वविद्यालयों के पास जुड़ो मैट उपलब्ध है। 05 विश्वविद्यालय अर्थात् 50 प्रतिशत विश्वविद्यालयों के पास मुक्केबाजी, नेटबाल कोर्ट एवं टेनिस कोर्ट उपलब्ध है। 04 विश्वविद्यालयों अर्थात् 33.33 प्रतिशत विश्वविद्यालयों के पास तीरंदाजी की सुविधा उपलब्ध है। 03 विश्वविद्यालयों अर्थात् 25 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में स्वींमिग पूल, 02विश्वविद्यालयों अर्थात् 16.67 प्रतिशत विश्वविद्यालयों के पास स्कैश कोर्ट तथा 01 विश्वविद्यालं अर्थात् 8.33 प्रतिशत विश्वविद्यालयों के पास साफ्टबाल मैदान की सुविधा उपलब्ध है। तलवार बाजी, कार्फबाल, सायकिलिंग, बेलोड्रम, बेसबाल कोर्ट एवं बाल बैडमिंटन कोर्ट की सुविधा किसी भी विश्वविद्यालय में उपलब्ध नही है। यह स्थिति दयनीय एवं निराशाजनक है।

सारणी–2
बहुउद्देशीय जिम्नेजियम हाल संबंधी
(MultipurpaseGymnesium)

क्रमांक	जिम्नेजियम का प्रकार	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रतिशत
1	आधुनिक सामग्रीयुक्त	4	33.33
2	सामान्य सामग्रीयुक्त	5	41.67
3	सामान्य	3	25

बहुउद्देशीय जिम्नेजियम हाल संबंधी

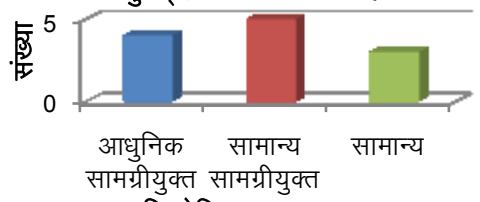

उपर्युक्त सारणी में बहुउद्देशीय जिम्नेजियम हाल सम्बन्धी आकड़ों के अध्ययन से ज्ञात हुआ की कुल 12 विश्वविद्यालयों मे से 04 विश्वविद्यालयों अर्थात् 33.33 प्रतिशत विश्वविद्यालयों के पास आधुनिक सामग्री युक्त जिम्नेजियम हाल, 05 विश्वविद्यालयों अर्थात् 41.67 प्रतिशत विश्वविद्यालयों के पास सामान्य सामग्रीयुक्त जिम्नेजियम हाल तथा 03 विश्वविद्यालयों अर्थात् 25 प्रतिशत विश्वविद्यालयों के पास सामान्य हाल उपलब्ध है।

सारणी–3
उपकरणों स्थिति संबंधी (Equipment Position)

क्रमांक	पर्याप्त	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रतिशत
1	है	12	100
2	नहीं है	0	0

उपकरणों स्थिति संबंधी

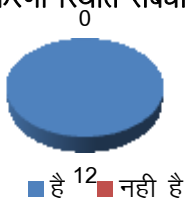

उपर्युक्त सारणी में उपकरणों के विषय में प्राप्त आकड़ों के अनुसार सभी 12 विश्वविद्यायों में खेलकूद के पर्याप्त उपकरण उपलब्ध है।

सारणी–4
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धि संबंधी
(Achievement of International Level)

क्रमांक	अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	5	41.67
2	नहीं	7	58.33

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धि संबंधी

उपर्युक्त सारणी के अनुसार विश्वविद्यालयों के खिलाडियों का अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व या उपलब्धि प्राप्त करना दर्शाया गया है। जिसके अनुसार 12 विश्वविद्यालयों में से 5 विश्वविद्यालय अर्थात् 41.67 प्रतिशत विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों ने अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मे भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जबकि शेष 7 विश्वविद्यालयों अर्थात् 58.33 प्रतिशत विश्वविद्यालयों के खिलाडियों ने प्रतिनिधित्व नही किया है।

सारणी – 5
राष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धि
(Achievement of National Level)

क्रमांक	राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रतिशत
1	हॉ	12	100
2	नहीं	0	0

राष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धि

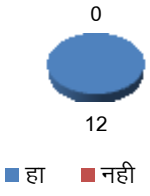

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-II, November-2014
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

उपर्युक्त सारणी के अनुसार विश्वविद्यालयों के खिलाडियों का राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करना या प्रतिनिधित्व करना दर्शाया गया है। जिसके अनुसार 12 विश्वविद्यालयों में से सभी विश्वविद्यालयों में शत प्रतिशत विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मे प्रतिनिधित्व किया या उपलब्धि प्राप्त की है।

सारणी – 6
अन्तर विश्वविद्यालयीय स्तर में उपलब्धि सम्बन्धी
(Achievement of Inter university Level)

क्रमांक	अन्तर वि.वि. स्तर में उपलब्धि	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रतिशत
1	हा	12	100
2	नही	0	0

अन्तर विश्वविद्यालयीय स्तर में उपलब्धि सम्बन्धी

उपर्युक्त सारणी के अनुसार विश्वविद्यालयों के खिलाडियों का अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व या उपलब्धि प्राप्त करना दर्शाया गया है। जिसके अनुसार 12 विश्वविद्यालयों में से शत प्रतिशत अर्थात सभी विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया है और उपलब्धि प्राप्त की है।

सारणी –7
अन्तर महाविद्यालयीय स्तर पर उपलब्धि सम्बन्धी
(Achievement of Inter College Level)

क्रमांक	अन्तर महाविद्यालय में उपलब्धि	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रतिशत
1	हा	12	100
2	नही	0	0

अन्तर महाविद्यालयीय स्तर पर उपलब्धि सम्बन्धी

उपर्युक्त सारणी के अनुसार विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों का अन्तर महाविद्यलयीय प्रतियोगिताओं में उपलब्धि प्राप्त करना दर्शाया गया है।जिसके अनुसार 12 विश्वविद्यालयों में से शत प्रतिशत विश्वविद्यालयों ने अन्तर महाविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में उपलब्धि प्राप्त की है।

सारणी क्रमांक – 8
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उपलब्धि सम्बन्धी
(Achievement of State Level)

क्रमांक	राज्य स्तर में उपलब्धि	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रतिशत
1	हा	12	100
2	नही	0	0

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उपलब्धि सम्बन्धी

उपर्युक्त सारणी के अनुसार विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उपलब्धि प्राप्त करना दर्शाया गया है। जिसके अनुसार 12 विश्वविद्यालयों में से शत प्रतिशत विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में उपलब्धि प्राप्त ही है।

सारणी–9
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्राफी संबंधी
(Achievement of Maulana Abul Kalam Azad Trophy)

क्रमांक	ट्राफी प्राप्त की	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रतिशत
1	हा	0	0
2	नही	12	100

मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्राफी संबंधी

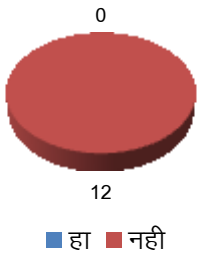

उपर्युक्त सारणी के अनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं द्वारा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्राफी उपलब्धि प्राप्त करना दर्शाया गया है। जिसके अनुसार 12 विश्वविद्यालयों में से किसी भी विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्राफी प्राप्त नहीं की है।

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-II, November-2014
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

सारणी –10
विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी एवं कर्मचारी सम्बन्धी (Achievement of Sportspersons with National/State Awards)
विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी एवं कर्मचारी सम्बन्धी

कुल 12 विश्वविद्यालयों में से किसी भी विश्वविद्यालय के खिलाड़ी या कर्मचारी को राष्ट्रीय या राज्य के पुरस्कार प्राप्त नही हुआ है।

निष्कर्ष

शोधार्थी द्वारा विश्वविद्यालयों में विभिन्न खेलों की संरचना (खेल मैदान, भवन अथवा सुविधा) की जानकारी चाही थीं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को सुविधायुक्त बनाने के लिए शोधार्थी ने प्रश्नावली में 32 खेलों के नाम लिखकर जानकारी चाही थी। जिसके उत्तर में प्राप्त आकड़ों के अनुसार सभी 12 विश्वविद्यालयों में एथलेटिक्स ट्रैक, बैण्डमिंटन कोर्ट, बास्केटबाल कोर्ट, क्रिकेट मैदान, फुटबाल मैदान, हैण्डबाल कोर्ट, हाकी फील्ड, कबड्डी कोर्ट, टेबल टेनिस टेबल तथा बालीबाल कोर्ट के मैदानों की सुविधा पायी गयी। आठ विश्वविद्यालयों में कुश्ती के मैट, सात विश्वविद्यालयों में जुड़ों के मैट, छः विश्वविद्यालयों में मुक्केबाजी, नेटबाल और टेनिस कोर्ट की सुविधा पायी गयी। चार विश्वविद्यालयों में तीरदांजी, तीन विश्वविद्यालयों में स्वीमिंग पूल, दो विश्वविद्यालयों मे स्कैश–कोर्ट, एक विश्वविद्यालय मे साफ्टबाल कोर्ट उपलब्ध पाये गये जबकि बाल बैण्डमिंटन, बेसबाल, सायकिलिंग, कार्फ बाल, तलवारीबाजी खेलों की सुविधा किसी भी विश्वविद्यालय में नही पायी गयी।

खेल सुविधाओं में बहु–उद्देशीय जिम्नेजियमों की उपलब्धता सम्बन्धी जानकारी प्राप्त आकड़ों से ज्ञात हुआ कि चार विश्वविद्यालयों में आधुनिक सामग्री युक्त, पॉच विश्वविद्यालयों में सामान्य सामग्री युक्त तथा तीन विश्वविद्यालयों में सामान्य बहुउद्देशीय जिम्नेजियम अर्थात शत प्रतिशत विश्वविद्यालय में बहु–उद्देशीय जिम्नेजियम उपलब्ध है। सभी 12 विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा खेलकूद गतिविधियो के संचालन हेतु पर्याप्त उपकरण उपलब्ध है।

खिलाडियों का अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व या उपलब्धि प्राप्त करने सम्बन्धी अध्ययन में पाया गया कि 12 विश्वविद्यालयों में से 5 विश्वविद्यालय अर्थात् 41.67 प्रतिशत विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों ने अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मे भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जबकि शेष 7 विश्वविद्यालयों अर्थात् 58.33 प्रतिशत विश्वविद्यालयों के खिलाडियों ने प्रतिनिधित्व नही किया है। जो कि इतने बडे प्रदेश के लिए पर्याप्त नही है।

विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर में, अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में,अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी विश्वविद्यालय के खिलाडी या विश्वविद्यालय ने पुरस्कार प्राप्त नही किया है।

अर्थात इस सीमित और सीमाकिंत अध्ययन के आधार पर प्राप्त हुआ कि आजादी के इस 67 वर्षो में जहॉ विश्वविद्यालयीय शिक्षा एवं खेलकूद में सुधार एवं विस्तार के लिए 1948 में राधा कृष्णन आयोग, 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1964 शिक्षा आयोग, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1980 की राष्ट्रीय खेल नीति, 1986 की नयी शिक्षा नीति, और 2007 की राष्ट्रीय खेल नीति में युवा एवं खेलकूद कार्यक्रमों का क्रियान्वयन का कार्य लागू किया गया।वही आज भी उत्तर प्रदेश जैसे विस्तृत क्षेत्रफल एवं विशाल जनसंख्या वाले राज्य के विश्वविद्यालयों में अभी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओ का अभाव है। जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर से ऊपर की खेल प्रतिभॉए नही निकल पा रही है जो हम सभी के लिए एक चिन्ता एवं विचार का विषय है।

सन्तुति

विश्वविद्यालय परिसर में एक स्पोर्टस काम्पलेक्स के लिए लगभग 25 एकड़ भूमि अलग होनी चाहिए। जिस पर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सम्पूर्ण आधुनिक सुविधायुक्त स्पोटर्स काम्पलेक्स विकसित किया जाना चाहिए।

प्रत्येक विश्वविद्यालय में भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ की खेल गतिविधियों के अनुरूप विश्वविद्यालय स्तर पर खिलाड़ियों को खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने खेल मैदानों के विकास के लिए, प्रशिक्षण शिविरों और प्रतियोगिताओं के आयोजन व प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुसार कम से कम रूपये एक करोड़ का प्रावधान किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालयों में एक विशेष तकनीकि एवं उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए जो खेल संरचनाओं के निर्माण खेल मैदानों के निर्माण तथा स्तरीय खेल सामग्रियों के उपलब्धता के लिए जिम्मेदार हो।

प्रदेश के विश्वविद्यालय में एक समान खेलों के विकास की नीति निर्धारित की जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों में खेलों के विकास के लिए राज्य शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग, भारतीय खेल प्राधिकरण एवं विभिन्न खेल संघों के साथ सहयोग की नीति को अपनाना चाहिए। विश्वविद्यालय को अपने परिक्षेत्र के संबंधित महाविद्यालयों को उनकी खेल सुविधाओं के विकास के सहयोग देना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1. अटवाल, एच. एस. और यादव,आर.के."स्वतंत्र भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास",अमित ब्रदर्सपब्लिकेशन्स नागपुर 2006
2. कमलेश, एम.एल. "फिजिकल एजुकेशनः फैक्ट एण्ड फाउण्डेशंस" पी.वी. पब्लिकेशन फरीदाबाद 1988

3. डोनाल्ड, एच. मैक ब्यूर्ने "रिसर्च मेथड्स" कूले पब्लिशिंग कम्पनी 1994
4. बूचर, चार्ल्स ए. "फाउण्डेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन" सेंट लुइसः द सी.वी. मेसवे कम्पनी 1969
5. हेनरी, ई. इरेट "स्टेटिक्स इन साइकोलाजी एण्ड एज्युकेशन" कल्याणी पब्लिशर्स 2007
6. वेस्ट, जॉन डब्ल्यू "रिसर्च इन एज्युकेशन" नई दिल्ली प्रेन्टिस हॉल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड 1982
7. शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार "नेशनल प्लान ऑफ फिजकल एजुकेशन", नई दिल्ली गवर्मेन्ट प्रेस 1956